असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

28 जून, 2022

सप्तदश विधान सभा — मंगलवार, तिथि 28 जून, 2022 ई0
षष्ठम सत्र — 07 आषाढ़, 1944(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-11 (श्री अजय कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या-166, जमालपुर)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-'क'-12 (श्री ऋषि कुमार, क्षेत्र संख्या-220, ओबरा)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-13 (श्री चन्द्रशेखर, क्षेत्र संख्या-73, मधेपुरा)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-14(श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र संख्या-82, दरभंगा ग्रामीण)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : यह उचित नहीं है, जो सदन का विषय नहीं है उसे यहां उठाना और सदन के समय को बर्बाद करना, जनता के हित के सवालों पर सदन को अव्यवस्थित करना, यह उचित नहीं है । बैठिये अपनी जगह पर, माननीय सदस्य अपनी जगह पर बैठिये । सदन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करें । डॉ0 रामानुज प्रसाद ।

(व्यवधान जारी)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-15 (डॉ0 रामानुज प्रसाद, क्षेत्र संख्या-122, सोनपुर)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–16 (श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र संख्या–156, भागलपुर)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–17 (श्री शकील अहमद खाँ, क्षेत्र संख्या–64, कदवा)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–18 (श्री भाई वीरेन्द्र, क्षेत्र संख्या–187, मनेर)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–22 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र संख्या–21, ढाका)

(लिखित उत्तर)

श्री मदन सहनी, मंत्री : महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में राज्य के 82.96 लाख वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है ।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लगभग 8.02 लाख दिव्यांगजन को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना (96.00 हजार) एवं बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना (7.06 लाख) के तहत रु0 400/– प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है । साथ ही विगत चार वित्तीय वर्षों में मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' अन्तर्गत कुल 15770 (पन्द्रह हजार सात सौ सत्तर) दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किये गये हैं ।

राज्य के कुल 63.80 लाख वृद्धजन पेंशनधारियों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (33.31 लाख) एवं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (30.49 लाख) के तहत पेंशन दी जाती है । इसके अन्तर्गत 80 वर्ष के अधिक उम्र के लिए रु0 500/– (पांच सौ) प्रतिमाह की दर से एवं शेष पेंशधारियों को रु0 400/– (चार सौ) प्रतिमाह पेंशन दी जाती है ।

विधवाओं के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (5.17 लाख) एवं लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (5.97 लाख) के तहत कुल 11.14 लाख पेंशनधारियों को 400/– प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है ।

सभी पेंशन योजनााओं में लगातार आर0टी0पी0एस0 एवं एस0एस0पी0एम0आई0एस0 के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर नियमित रूप से उनकी स्वीकृति एवं भुगतान का कार्य किया जा रहा है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्ले कार्ड हटवा दीजिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि राज्य में 6 लाख 13 हजार दिव्यांगजन प्रमाण पत्र रहते हुये भी पेंशन तथा सहायता उपकरण एवं 4 लाख 97 हजार बुजुर्ग वृद्धा पेंशन तथा 2,14,300 विधवा महिलाओं को अभी तक पेंशन नहीं मिला है । हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कब तक बचे हुये लोगों को, दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण और पेंशन देने का सरकार विचार रखती है ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाएं, बैठ जाएं आप लोग अपनी जगह पर ।

(व्यवधान)

नहीं, बहुत मेहनत से शत-प्रतिशत प्रश्नों का जवाब आया है । सरकार और उसकी सजगता, प्रशासनिक पदाधिकारी पूरी मेहनत करके प्रश्नों के उत्तर लाते हैं, इस तरह से मत करिये ।

(व्यवधान)

नहीं, यह नहीं चलेगा । अराजकता मत फैलाइये, बैठिये अपनी जगह पर । माननीय मंत्री ।

(व्यवधान जारी)

बच्चे देख रहे हैं । बच्चे ऊपर से देख रहे हैं । आपके द्वारा जो अराजकता फैलाई जा रही है, वह उचित नहीं है । प्रश्नकाल को चलने दीजिये, जाइये अपने स्थान पर ।

(व्यवधान)

उचित समय पर अपनी बात को रखें, आपकी कोई भी बात प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगी, कोई विषय आपका नहीं आयेगा । माननीय मंत्री ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को हमलोगों ने उत्तर उपलब्ध करा दिया है जो वृद्धजन से संबंधित पेंशन का मामला है । इसका सत्यापन अभी चल रहा है, सत्यापन के उपरांत हमलोग सभी को उनके खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से राशि भेज देते हैं । जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है, दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र का तो पूरे बिहार में लगभग 50 लाख दिव्यांगजन हैं । इसमें से हमलोगों ने 15 लाख लोगों को प्रमाणीकरण किया है । शेष जो बचे हुये हैं उनके लिये हमलोग कैम्प भी लगाते हैं और पी0एच0सी0 के माध्यम से भी उनका प्रमाणीकरण किया जाता है । इसको तेजी से करने के लिये हमलोग कैम्प का भी सहारा लेते हैं और हमलोग शत-प्रतिशत चाहते हैं कि दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण हो जाये और जिनका

प्रमाणीकरण हो चुका है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो दिव्यांगजन हैं जो छात्र हैं और जो काम करने वाले लोग हैं, स्वरोजगार करने वाले लोग हैं और उनको घर से दूर जाना पड़ता है, खासकर के जो हमारे छात्र हैं उनको पढ़ने के लिये दूर जाना पड़ता है तो उनके लिये भी जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल है उसको भी हमलोगों ने स्वीकृति प्रदान किया है और वह भी हमलोग उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं । साथ ही जितने दिव्यांगजन हैं उनको कैम्प लगा कर के मेला के माध्यम से ट्राईसाइकिल और अन्य उपकरण जिनको जो आवश्यकता है उसको हमलोग उपलब्ध कराते हैं । यह काम जारी है और जो शेष बचे हुये हैं उनको भी इसमें हमलोग शामिल करते रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट है और सरकार का जवाब भी है कि 8 लाख 2 हजार दिव्यांगजन हैं जिनको पेंशन मिलता है । मेरा यह कहना है कि 6 लाख 13 हजार दिव्यांगजन ऐसे हैं जिनको प्रमाणपत्र है लेकिन उनको उपकरण नहीं मिला है । माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं ?

(व्यवधान)

श्री मदन सहनी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो पहले ही कहा कि जो भी दिव्यांगजन हैं, अभी तो हमलोगों ने जो छात्र हैं और जो स्वरोजगार करने वाले हैं उनके लिये भी सिर्फ ट्राईसाइकिल नहीं बल्कि मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल देने का प्रावधान किया है । जो शेष बचे हैं कैम्प लगा कर के आवश्यकतानुसार सभी को हमलोग जो सहायक उपकरण हैं वह उपलब्ध करायेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये माननीय सदस्य, सभी अपने स्थान पर बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार कब तक उन लोगों को उपकरण देने का विचार रखती है और 2 लाख 14 हजार, जो विधवा पेंशनधारी बचे हुये हैं जिनका पेंशन में नाम है लेकिन उनको पेंशन का लाभ नहीं मिलता है ऐसे लोगों को कब तक सरकार पेंशन देने का विचार रखती है ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सत्यदेव राम जी, डिस्टर्ब करियेगा तो बाहर कर देंगे । अगर कार्यवाही को डिस्टर्ब करियेगा तो बाहर कर देंगे ।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट पूरक प्रश्न है कि जो दिव्यांगजन उपकरण से वंचित हैं उनको क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में उपकरण देने का विचार रखती है कि नहीं ?

श्री मदन सहनी, मंत्री : महोदय, हमलोग कैम्प लगाकर जल्द से जल्द जितने भी दिव्यांगजन शेष बचे हुये हैं उनको भी उपकरण उपलब्ध करायेंगे और विधवा पेंशन के बार में माननीय सदस्य कह रहे हैं तो अभी हमलोग सत्यापन का काम करा रहे हैं और जिनका सत्यापन हो चुका है उन सभी के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से राशि भेज रहे हैं । सत्यापन के उपरांत सभी...

श्री पवन कुमार जायसवाल : इसी वित्तीय वर्ष में न ?

श्री मदन सहनी, मंत्री : हां, इसी वित्तीय वर्ष में ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : धन्यवाद ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–20 (श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, क्षेत्र संख्या–133, समस्तीपुर)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–21 (श्री मुकेश कुमार यादव, क्षेत्र संख्या–27, बाजपट्टी)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–19 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र संख्या–21, ढाका)

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, विभाग का जवाब नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग उत्तर पढ़ दें ।

(व्यवधान जारी)

आप ट्रेजरी बेंच से इधर हट जाइये । हट जाइये ट्रेजरी बेंच से ।

(व्यवधान)

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि नेशलन हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एन0एच0एफ0डी0सी0) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का एक उपक्रम है । इस उपक्रम द्वारा वित्त प्रदत्त दिव्यांगों को स्वरोजगार स्थापित करने एवं अर्थिक सहायता देने हेतु दिव्यांग स्वावलंबन योजना के अलावे कतिपय ऋण योजना संचालित है । एन0एच0एफ0डी0सी0 को ऋण प्रस्ताव उनके द्वारा चयनित एजेंसी राष्ट्रीयकृत बैंक एवं राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी भेजती है । उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग, वित्त एवं विकास निगम, पटना राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी

के रूप में नामित है । निगम के पत्रांक–1268 दिनांक–24.06.2022 को सूचित किया गया है कि इस प्रकार के ऋण योजना का कार्यान्वयन अब तक नहीं किया गया है ।

2– उत्तर अस्वीकारात्मक है । इस संबंध में एन0एच0एफ0डी0सी0 से संबंधित जानकारी की मांग पत्रांक–517 दिनांक–27.06.2022 के द्वारा की गई है ।

उपर्युक्त खंड–3 लागू नहीं है ।

टर्न–2/राहुल/28.06.2022

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि दिव्यांग स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाना है और

(व्यवधान)

एन0एच0एफ0डी0सी0 के माध्यम से 50 हजार से 25 लाख रुपये तक का ऋण दिव्यांगजनों दिया जाना है । इस राज्य में 11513 दिव्यांगजनों को ऋण देने का मामला लंबित है जिसमें केवल 43 स्वीकृत हुए बाकी दिव्यांगजनों का जो आवेदन है उसका कोई खाता, खेसरा, रकबा नहीं है...

(व्यवधान)

विभाग ने कोई ऋण देने की कार्रवाई नहीं की है । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इस आवेदन को लंबित रखने वाले जो पदाधिकारी हैं उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखते हैं चूंकि मामला दिव्यांगजन का है और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हैं, सरकार इस मामले में गंभीर है तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी ?

(व्यवधान)

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम में ट्रांसफर किया था बाद में उन्होंने उसे विभाग को भेज दिया...

(व्यवधान)

सच्चाई यही है कि माननीय सदस्य जो प्रश्न समाज कल्याण विभाग के पास लाये हैं उसका जवाब पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को देना था लेकिन हमारे पास इस तरह का कोई भी मामला जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि 11,513 तो इस तरह का न कोई आवेदन हम लोगों के पास आया है और न ही...

(व्यवधान)

हम लोगों के यहां से 43 दिव्यांगजनों का ऋण से संबंधित कोई मामला स्वीकृत किया गया है । माननीय सदस्य का जो प्रश्न आया है उसके बाद हम लोगों ने इस मामले को नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को हम लोगों ने इनके प्रश्न के आलोक में पत्राचार किया है और उस संबंध में हम लोगों ने गाइडलाईन मांगी है कि क्या समाज कल्याण विभाग इस काम को कर सकता है या नहीं । अभी हम लोगों के यहां इस तरह का कोई मामला नहीं चल रहा है ।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, यह मामला तो समाज कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ है, यह आवेदन समाज कल्याण विभाग को लेना है । देश के अन्य राज्यों में यह योजना लागू है, अगर बिहार में इस योजना का प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया है...

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी के जवाब के हिसाब से तो क्या इसको लागू करने में जो सक्षम पदाधिकारी हैं समाज कल्याण विभाग के उनके विरूद्ध कार्रवाई का विचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं ? क्योंकि बिहार के दिव्यांगजन इससे वंचित हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही कहा कि जो भारत सरकार की एजेंसी है उन्होंने हमें इस काम के लिए कहा ही नहीं तो हम लोग इस काम को कैसे करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : चलिये ठीक है । भाई वीरेन्द्र ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-23 (श्री भाई वीरेन्द्र, क्षेत्र संख्या-187, मनेर)

(नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-24 (श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र संख्या-156, भागलपुर)

(नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-25 (श्री मो0 आफाक आलम, क्षेत्र संख्या-58, कसबा)

(नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-26 (डॉ0 सी0एन0 गुप्ता, क्षेत्र संख्या-118, छपरा)

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमें प्रश्न का उत्तर बताने का कष्ट करें ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । आपको नहीं मिला है ? माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ दें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, अभी प्रश्न काल है, जनहित के एक से बढ़कर एक प्रश्न सूचीबद्ध हैं । अल्पसूचित में 18 प्रश्न हैं और कई महत्वपूर्ण प्रश्न तारांकित प्रश्नों की श्रेणी में हैं । आप राज्यहित में इन प्रश्नों के उत्तर को सुनें । बच्चे बैठे हैं...

(व्यवधान)

अराजकता मत फैलायें । आपको सदन की गरिमा बढ़ानी है, उत्कृष्ट विधायक की श्रेणी में भी आना है । आप अपने स्थान को ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दिव्यांग शिक्षक एवं महिला शिक्षिका को धारित पद के समतुल्य पद पर...

(व्यवधान)

अंतर नियोजन इकाई (अन्तर जिला सहित) में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक स्थानान्तरण तथा सामान्य पुरूष शिक्षक के संबंध में अंतर नियोजन इकाई (अन्तर जिला सहित) में पारस्परिक स्थानान्तरण का प्रावधान विभागीय अधिसूचना संख्या-875, दिनांक-07.06.2021 द्वारा किया गया है...

(व्यवधान)

वर्तमान नियोजन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् विभागीय पोर्टल के माध्यम से उक्त कोटि के शिक्षकों का अन्तर नियोजन इकाई (अन्तर जिला सहित) स्थानान्तरण हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की जायेगी ।

(व्यवधान)

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर से मैं संतुष्ट हूं ।

अध्यक्ष : चलिये, धन्यवाद आप सभी को ।

(व्यवधान)

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-27 (श्री सुधाकर सिंह, क्षेत्र संख्या-203, रामगढ़)</u>

(नहीं पूछा गया)

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-28 (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र संख्या-83, दरभंगा)</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : खंड-1 एवं 2- वस्तुस्थिति यह है कि निर्दिष्ट आंकड़ा नेशनल अचीवमेंट सर्वे, 2017 का है परन्तु इनमें भी तीसरी कक्षा के 81 प्रतिशत, पांचवीं कक्षा के 83 प्रतिशत और आठवीं कक्षा के 88 प्रतिशत बच्चे शिक्षकों की पढ़ाई समझ पाते हैं जबकि नेशनल अचीवमेंट सर्वे, 2021 में स्थिति और सुधरी है।

तीसरी कक्षा के 96 प्रतिशत, पांचवीं कक्षा के 95 प्रतिशत तथा आठवीं कक्षा के 97 प्रतिशत बच्चे कक्षा में शिक्षकों की पढ़ाई को समझ पाते हैं ।

खंड–3 वस्तुस्थिति यह है कि कोविड के दुष्प्रभाव के कारण मार्च, 2020 से लगभग दो वर्ष तक विद्यालयों में पठन–पाठन बाधित रहा है । इसके कारण Learning loss हुआ है । इस पृष्ठभूमि में राज्य में कक्षा II-X के विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर में सुधार के लिए कैच अप (Catch Up) कोर्स का आयोजन माह अप्रैल, 2022 से किया जा रहा है । राज्य के कक्षा I-V के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (FLN) कार्यक्रम को प्रारम्भ करने की तैयारी की जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर संलग्न है । मेरा जो प्रश्न था 81 प्रतिशत तीसरी कक्षा में, 83 प्रतिशत पांचवी कक्षा में और 88 प्रतिशत आठवीं कक्षा में बच्चे पढ़ाई को नहीं समझ पाते हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि इससे ज्यादा प्रतिशत समझ पाते हैं और फिर उन्होंने उत्तर में दिया कि हम इसको ठीक करेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे जिसका मैंने जिक्र किया है और माननीय मंत्री जी ने भी उसी के हवाले से जवाब दिया है । माननीय मंत्री जी के पास फाईल में होगी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, 2021 की रिपोर्ट तो क्या माननीय मंत्री जी उसकी प्रतिलिपि मुझे उपलब्ध करवा देंगे ? जो इन्होंने उत्तर में कहा है कि 95 प्रतिशत बच्चे पांचवीं कक्षा के बच्चे समझ पा रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अब यह नहीं समझ में आता है कि इस उत्तर में विरोधाभास क्या है । हमने तो उत्तर में यह कहा है कि माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिये हैं वे वर्ष 2017 के हैं और वर्ष 2021 के सर्वे में स्थिति काफी सुधरी है, हमने तो यह कहा है और जहां तक हमने कहा कि हम और कार्रवाई कर रहे हैं यह तो इस बात का द्योतक है कि हम अभी भी संतुष्ट नहीं हैं हम और सुधार करना चाहते हैं । स्थिति में सुधार हुआ है और हम और सुधार करना चाहते हैं इसमें विरोधाभास कहां है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : चलिये, अब हो गया । अब अल्पसूचित प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि 81 प्रतिशत तीसरी कक्षा के बच्चे नहीं समझ पाते हैं और माननीय मंत्री जी ने कहा कि समझ पाते हैं यही जो अंतर है कि वे समझ पाते...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्यगण अपने स्थान को ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

सुनिये सुदय जी, सुन लीजिये । आज भी सरकार शत प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर देने को सदन में बैठी है, कृपया संसदीय परंपरा का निर्वहन करें । आज उत्कृष्ट विधान सभा और उत्कृष्ट विधायक के संदर्भ में भी विमर्श सूचीबद्ध है, आप सबको उसमें भागीदारी करनी चाहिए ।

(व्यवधान)

''राजनीति की राहें हैं रपटीली बहुत,
संभलकर हमें चलना होगा ।
अपने आचरण, अनुशासन और संकल्प से,
कथनी और करनी के बल पर एक उदाहरण बनना होगा ।''

(व्यवधान)

आपको बच्चे भी देख रहे हैं, जाइये अपनी जगह से अपनी बात रखिये । आप अराजकता फैलायेंगे, हम सदन का कीमती समय और जनता के पैसे को बर्बाद नहीं होने देंगें, साफ शब्दों में सुन लें ।

(व्यवधान)

आपका अधिकार है तो आपका कर्तव्य भी है अपनी जगह पर जाकर विमर्श करने का और कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, यह सदन अराजकता फैलाने की अनुमति नहीं देगा । यह कतई उचित नहीं है । माननीय सदस्य, श्री विश्वनाथ राम ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-94 (श्री विश्वनाथ राम, क्षेत्र संख्या-202, राजपुर (अ0जा0)</u>

(नहीं पूछा गया)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-95 (श्री विजय कुमार खेमका, क्षेत्र संख्या-62, पूर्णियां)</u>

श्री आलोक रंजन, मंत्री(लिखित उत्तर) : खंड-1 उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

खंड-2 उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, पूर्णियां से विभागीय पत्रांक-816, दिनांक-22.06.2022 द्वारा पूर्णियां

मुख्यालय के उक्त सभी स्टेडियमों की अद्यतन स्थिति की जानकारी की मांग की गई है । जानकारी प्राप्त होते ही नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप इंतजार मत करिये, आगे बढ़ जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, उत्तर संलग्न है । यह बड़ा गंभीर विषय है, खेल और खिलाड़ी से संबंधित है । माननीय मंत्री जी सक्रिय हैं, गंभीर रहते हैं लेकिन विभाग गंभीर नहीं है । जो जानकारी मांगी गई है विभाग ने वह नहीं दी है इसलिए मेरा पूरक है कि कब तक जानकारी मिलेगी और दूसरा पूरक है कि कब तक कार्रवाई होगी ?

टर्न-3/मुकुल/28.06.2022

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट कहा है कि पूर्णिया जिला का जो भी स्टेडियम है, जिला पदाधिकारी से हमने उसकी अद्यतन स्थिति की मांग की है और जैसे ही हमको दिया जायेगा, अध्यक्ष महोदय, हम पूर्णिया जिला के सभी स्टेडियमों का नियमानुकूल कार्रवाई करना शुरू करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । चलिए, मंत्री जी ने अच्छा जवाब दिया है ।

(व्यवधान जारी)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या - 96 (श्री भीम कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-219, गोह)</u>

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया ।)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 97 (श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, क्षेत्र सं0-224, रफीगंज)</u>

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया ।)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या - 98 (श्री प्रणव कुमार, क्षेत्र सं0-165, मुंगेर)</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर प्रखंड में अवस्थित नोट्रेडम एकेडमी एक (अल्पसंख्यक) निजी विद्यालय है, जो सिस्टर्स ऑफ क्रिश्चयन सोसाइटी के द्वारा संचालित है । यह विद्यालय माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित रिट पीटिशन सी नं0 95 ऑफ 2010 के आलोक में राइट ऑफ चिन्ड्रेन टू फ्री एण्ड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत नहीं आता है ।

जहां तक निर्धन छात्रों का नामांकन कर अलग वर्ग में बैठाने की बात है, इस हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर को जांच करने का निदेश दिया गया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जाएं, आप पहले अपने स्थान पर जाएं उसके बाद । सभी लोग अपने स्थान पर जाएं ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब संलग्न है, लेकिन हम चाहते हैं कि जिन बच्चों को अलग से पढ़ाने की व्यवस्था की गई है, उससे हमारे गरीब बच्चे कुंठित होते हैं, इसलिए उस विद्यालय पर शीघ्र कार्रवाई की जाए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में इस बात को कहा गया है कि हम जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दे रहे हैं कि वह उसकी जांच कर लें और अगर गरीब बच्चों को अलग बैठाया जा रहा है तो यह गलत बात है । हमलोग इसकी जांच करवा लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या - 99 (श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, क्षेत्र सं0-17, पिपरा)

श्री मदन सहनी, मंत्री (लिखित उत्तर): उत्तर स्वीकारात्मक है ।

जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) द्वारा (पत्रांक-29, दिनांक-20.06.2022) सूचित किया गया है कि जिला में दिव्यांग छात्रावास नहीं है ।

वर्तमान में पूर्वी चम्पारण जिला में दिव्यांग छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारा जो प्रश्न है वह सही है । सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि वहां पर दिव्यांगों के लिए छात्रावास नहीं है, लेकिन मैं आपके

माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये दिव्यांगों के लिए कब तक छात्रावास बनवाने का विचार रखते हैं ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने जवाब दिया है कि सिर्फ मोतिहारी में नहीं, बल्कि वर्तमान में पूर्वी चम्पारण जिला के अलावा अन्य जिलों में भी छात्रावास बनवाने का मामला सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : अपने-अपने स्थान पर जाएं ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि सरकार कम से कम दिव्यांगों के लिए छात्रावास बनवाने का विचार करे ताकि उनको आने-जाने में कठिनाई न हो ।

अध्यक्ष : ठीक है, आपके सुझाव को माननीय मंत्री जी ने ग्रहण कर लिया है । आपलोग सुन लीजिए, रामबली सिंह जी । सुन लीजिए, अगर आप अराजकता फैलाइयेगा तो हम सदन से आपको बाहर कर देंगे । इस तरह से सदन नहीं चलेगा । मैं बार-बार कह रहा हूं कि जो अधिकार के साथ-साथ कर्तव्य का निर्वहन करेगा उसी का आसन सम्मान करेगा ।

(व्यवधान जारी)

सदन चलाने में, राज्य के हित में, जो विषय इस सदन का नहीं है उसके नाम पर अराजकता फैलाने का और अराजकता फैलाने वाले के पक्ष में बात करने का अधिकार नहीं मिलेगा । श्री विजय कुमार मंडल ।

तारांकित प्रश्न संख्या - 100 (श्री विजय कुमार मंडल, क्षेत्र सं0-51, सिकटी)

श्री मदन सहनी, मंत्री (लिखित उत्तर): अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि आई0सी0डी0एस0 एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत स्थानीय महिलाएं जिन्हें सामाजिक कार्य में अभिरूचि है उन्हें आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में चयन किया जाता है । इनका मानदेय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में निर्धारित है एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा राज्य भत्ता के रूप में अलग से राशि दी जाती है ।

भारत सरकार के मानदेय के अलावा 01.04.2021 के प्रभाव से सामान्य आंगनबाड़ी सेविका को 1450 रुपया, मिनी आंगनबाड़ी सेविका को 1130 रुपया तथा आंगनबाड़ी सहायिका को 725 रुपया अतिरिक्त राज्य भत्ता के रूप में दिया जाता है ।

इस प्रकार सामान्य आंगनबाड़ी सेविका को 5950 रुपये मिनी आंगनबाड़ी सेविका को 4630 रुपये एवं सहायिका को 2975 रुपया दिया जा रहा है ।

वर्तमान में सेविका/सहायिका के मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री विजय कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग इस सेविका/सहायिका का मानदेय बढ़ाना चाहती है, अगर चाहती है तो कब तक ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही जवाब दे दिया है, अभी 1 साल पहले ही हमलोग सेविका को 1450 रुपया और मिनी आंगनबाड़ी सेविका को 1130 रुपया और सहायिका को 725 रुपया अतिरिक्त राज्य भत्ता के रूप में दे रहे हैं, अभी फिलहाल इसको और आगे बढ़ाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कोरोनाकाल के बाद महंगाई काफी बढ़ी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इसको संज्ञान में ले और इनका मानदेय बढ़ाया जाय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : ठीक है । जो कोई भी इस सदन के सदस्य नहीं हैं, वह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा, न प्रोसीडिंग का, न प्रिंट मीडिया, न सोशल मीडिया में और इनके किसी भी वक्तव्य को प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनाया जाय । श्री विनय कुमार ।

(व्यवधान जारी)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या - 101 (श्री विनय कुमार, क्षेत्र सं0-225, गुरूआ)</u>

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया ।)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या - 102 (श्रीमती शालिनी मिश्रा, क्षेत्र सं0-15, केसरिया)</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर): वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या-367, दिनांक-13.02.2021 द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार राज्य क्षेत्रान्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों (संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय सहित) से

स्नातक/समकक्ष उत्तीर्ण छात्राओं को उक्त योजना का लाभ दिया जाना है । इस योजनान्तर्गत त्रिवर्षीय वोकेशनल पाठ्यक्रम के उत्तीर्ण छात्रा भी लाभान्वित होंगे ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को कन्या उत्थान योजना के तहत वोकेशनल कोर्सेज की छात्राओं को भी सम्मिलित करने के लिए धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहती हूं कि अभी तक यह लाभ वोकेशनल कोर्सेज की छात्राओं को मिलना शुरू नहीं हुआ है तो मैं पूछना चाहती हूं कि यह कब तक शुरू हो जायेगा ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह एक महीने में शुरू हो जायेगा ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, सकारात्मक उत्तर के लिए मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : आपलोग क्या चाहते हैं ? सुन लीजिए, अपने स्थान पर जाकर बोलिए । अगर आप आसन पर गलत आक्षेप लगायेंगे तो फिर हम आप पर कार्रवाई करेंगे । नहीं, आखिर आप चाहते क्या हैं ?

(व्यवधान जारी)

भागीरथी देवी जी, आप खेद व्यक्त कीजिए ।

श्रीमती भागीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं खेद व्यक्त करती हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(व्यवधान जारी)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-103 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र सं0-221, नवीनगर)</u>

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया ।)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या - 104 (श्री नीतीश मिश्रा, क्षेत्र सं0-38, झंझारपुर)</u>

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री (लिखित उत्तर): अध्यक्ष महोदय, (1) आंशिक स्वीकारात्मक है । विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन कुल-38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं कुल-44 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान संचालित हैं । उक्त संस्थानों के प्राचार्य द्वारा आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य हेतु अतिथि सहायक प्राध्यापक एवं अतिथि व्याख्याता तथा अनुदेशक से अस्थायी रूप से मासिक अधिसीमा अंतर्गत प्रति घंटी की दर से सेवा ली जाती है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है ।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन संचालित कुल-38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं कुल-44 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों/व्याख्याताओं के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के स्तर से कार्रवाई की जा रही है । अनुदेशकों के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना प्रेषित की गई है । नियमित नियुक्ति होने तक आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत अस्थायी रूप से मासिक अधिसीमा अंतर्गत प्रति घंटी की दर से शिक्षण कार्य अतिथि व्याख्याताओं/अतिथि अनुदेशकों से लिया जा रहा है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन संचालित कुल-38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं कुल-44 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों/व्याख्याताओं के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के स्तर से कार्रवाई की जा रही है एवं अनुदेशकों के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना प्रेषित की गई है ।

संस्थानीय प्राचार्य द्वारा शिक्षण कार्य लिए जाने हेतु आवश्यकता के आधार पर अतिथि शिक्षकों की अस्थायी रूप से मासिक अधिसीमा अंतर्गत प्रति घंटी की दर पर सेवा ली जाती है । यह कोई अस्थायी अथवा संविदा पर नियोजन नहीं है। आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षकों से शिक्षण कार्य लिए जाने का प्रावधान है ।

(व्यवधान जारी)

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दिया है । मेरा पूरक है कि बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और 44 पॉलिटेक्निक, जो भारत सरकार के ए0आई0सी0टी0ई0 के रेगुलेशन से जिनका संचालन होता है, अभी वहां पर कांट्रेक्ट टीचर्स के माध्यम से गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से वहां पर पढ़ाई का कार्य कराया जा रहा है । टोटल सेंक्शन पोस्ट कितने हैं टीचिंग में, जो आप सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के टोटल पद कितने हैं और अभी जो कांट्रेक्ट बहाली वर्ष 2013 तक हुई थी उसमें और गेस्ट फैकल्टी को मिलाकर, कितने अभी हमारे यहां व्याख्याता हैं, जिनके माध्यम से पढ़ाई का कार्य संपादित कराया जा रहा है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, व्याख्याता की टोटल संख्या जो है वह तकरीबन 2200 के आसपास है । जिसमें से अभी तक 300 लोगों की नियुक्ति हो चुकी है और अभी शेष पद खाली है, लेकिन हमारे अतिथि शिक्षक जो हैं उनसे अभी हमलोगों का काम चल रहा है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(व्यवधान जारी)

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बहुत बेहतर निर्णय लिया, प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरी दो चिंता है, एक जो गेस्ट फैकल्टी जिनको अतिथि शिक्षक के रूप में जिनके द्वारा पढ़ाई संपादित कराया जा रहा है उनका चूंकि सेवा संरक्षण नहीं है, इसलिए जब तक नियमित नियुक्ति नहीं होती है तब तक उनकी सेवा ली जायेगी तो कहीं न कहीं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पर असर पड़ेगा और दूसरा मंत्री जी ने अपने उत्तर में दिया है कि इन्होंने बी0पी0एस0सी0 को और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना दी है तो ये दोनों अधियाचना विभाग के द्वारा इनको कब दी गई है यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : यह अधियाचना हमलोगों ने पिछले वर्ष दिया था और इसी वित्तीय वर्ष के बाद हमलोगों को तकरीबन 305 शिक्षक प्राप्त हुए हैं और अभी शेष शिक्षक के लिए हमलोगों को बोला गया है कि नवम्बर माह तक सभी शिक्षक उपलब्ध करा दिये जायेंगे । लेकिन आपने जो मामला उठाया है यह मामला वाकई में गंभीर है, हमलोग इस पर अवश्य ध्यान देंगे, क्योंकि जो अतिथि शिक्षक हैं अभी फिलहाल उन्हीं के माध्यम से अभियंत्रण कॉलेजों में शिक्षा-दीक्षा हो रही है, इसलिए हमलोग इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्रीमती मीना कुमारी ।

(व्यवधान जारी)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या - 105 (श्रीमती मीना कुमारी, क्षेत्र सं0-34, बाबूबरही)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि निदेशक (शैक्षणिक), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत विद्यालय को शैक्षणिक सत्र-2022-24 से उच्च माध्यमिक वर्गों में नामांकन के लिए इन्टरस्तरीय कोड-52208 आवंटित कर इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को दे दी गयी है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, हमें जवाब मिल गया है।

अध्यक्ष : ठीक है । शत-प्रतिशत प्रश्नों का जवाब आया है ।

(व्यवधान जारी)

टर्न-4/यानपति/28.06.2022

अध्यक्ष: श्री मुरारी प्रसाद गौतम ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 106, (श्री मुरारी प्रसाद गौतम, क्षेत्र संख्या-207, चेनारी, अ0जा0)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

श्री रामप्रवेश राय ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 107, (श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्र संख्या-100, बरौली)

श्री रामप्रवेश राय: महोदय, पूछता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: एक भी बात प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बन रहा है और न ही प्रेस मीडिया में जाएगा।

श्री रामप्रवेश राय: अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं मिला है, जवाब दिलवा दिया जाय ।

अध्यक्ष: ठीक है, माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग जवाब दें ।

(व्यवधान जारी)

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री: महोदय, उत्तर संलग्न है ।

श्री रामप्रवेश राय: जवाब हम नहीं देखे हैं, जवाब दे दीजिए । माननीय मंत्री जी, जवाब दे दीजिए।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आप सबलोग अपने स्थान पर चले जाइये । जवाब नहीं है क्या ?

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री: जवाब है, उत्तर संलग्न है ।

अध्यक्ष: उत्तर नहीं मिला है, पढ़ दीजिए ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किए जाने का निर्णय है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आपलोग बैठ जाइये ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री: गोपालगंज जिलांतर्गत दो पॉलिटेक्निक संस्थान यथा राजकीय पॉलिटेक्निक, गोपालगंज अंचल- कुचायकोट में तथा ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक अंचल- बैकुण्ठपुर में पूर्व से स्थापित एवं कार्यरत है ।

अतः गोपालगंज जिलांतर्गत अन्य पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आप सदन के माननीय सदस्य हैं, बच्चे का जब जिला में बाल युवा संसद चलता है, आपलोगों को देखते हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने स्थान पर चले जायं, बैठ जायं, अपने स्थान से बात को रखेंगे तब आसन सुनेगा, यहां बैठकर कोई बात नहीं सुनेगा ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, श्री प्रहलाद यादव । क्या हुआ, अभी तो आकर कहे कि हमारा प्रश्न है, अभी आप आकर बोले कि हमारा प्रश्न है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 108, (श्री प्रहलाद यादव, क्षेत्र संख्या-167, सूर्यगढ़ा)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

श्री रामप्रवेश रायः अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है । मेरा प्रश्न पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के संबंध में था, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि निकट भविष्य में प्रत्येक जिले में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का विचार सरकार करती है क्या ?

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्रीः महोदय, अभी ऐसा कोई मामला नहीं है, हमलोगों के विचार में अभी ऐसा कुछ नहीं है लेकिन माननीय महोदय ने कहा है तो जरूर हमलोग उसपर गंभीरता से विचार करेंगे ।

अध्यक्षः श्री संदीप सौरभ ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 109, (श्री संदीप सौरभ, क्षेत्र संख्या-190, पालीगंज)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

श्री रामबली सिंह यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 110, (श्री रामबली सिंह यादव, क्षेत्र संख्या-217, घोसी)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

श्री चंद्रहास चौपाल ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 111, (श्री चन्द्रहास चौपाल, क्षेत्र संख्या-72, सिंहेश्वर, अ0जा0)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

श्री दिलीप राय ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 112, (श्री दिलीप राय, क्षेत्र संख्या-26, सुरसंड)

श्री दिलीप रायः महोदय, जवाब पढ़वा दिया जाय ।

अध्यक्षः उत्तर संलग्न है । एक चीज माननीय सदस्य कहेंगे कि यह सरकार शत-प्रतिशत प्रश्नों का जवाब दे रही है, हम सबकी जिम्मेवारी होती है । सरकार से अपेक्षा नहीं रखेंगे कि वह जवाब दे । हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम प्रश्न को, जवाब को ऑनलाइन देखें ।

श्री दिलीप रायः महोदय, नहीं आया है ।

अध्यक्षः ठीक है, पढ़ दीजिए माननीय मंत्री शिक्षा विभाग ।

(व्यवधान जारी)

अपने स्थान पर जाकर बोलें, आपको मिलेगा मौका, जाइये स्थान पर । स्थान पर जाकर बोलिये । यह बोलने की जगह नहीं है, अपने स्थान, अपनी सीट पर जाइये । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भूमि दाता स्वर्गीय रामलखन राय के द्वारा वर्ष- 1953 में मध्य विद्यालय रामपुर पचासी के नाम से कुल एक एकड़ 6 कट्ठा 18 धुर भूमि का एकरारनामा किया गया था । उक्त भूमि का निबंधन महामहिम राज्यपाल के नाम से नहीं किया गया, कालांतर में सरकार के संकल्प संख्या- 1021 दिनांक- 05.07.2013 के तहत माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना संबंधी निर्णय के आलोक में उक्त विद्यालय का उत्क्रमण उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया । भूमि दाता द्वारा अद्यतन नामाकरण संबंधी कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह जमीन रजिस्ट्री अगर महामहिम राज्यपाल के नाम से करा देते हैं तो सरकार इसपर विचार करेगी ।

अध्यक्षः ठीक है । श्री रणविजय साहू ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 113, (श्री रणविजय साहू, क्षेत्र संख्या-135, मोरवा)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

श्री मोतीलाल प्रसाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 114, (श्री मोती लाल प्रसाद, क्षेत्र संख्या-23, रीगा)

श्री मदन सहनी (लिखित उत्तर): (1) स्वीकारात्मक है । आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका, महिला पर्यवेक्षिका एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति लाभार्थी प्रथम किस्त 20 रुपया, द्वितीय किस्त 10 रुपया एवं तृतीय किस्त 20 रुपया इस प्रकार कुल 50/- रुपया भुगतान किये जाने का प्रावधान है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है । सीतामढ़ी जिला में वित्तीय वर्ष 2019-20 का प्रोत्साहन राशि का भुगतान फरवरी 2021 में ही किया जा चुका है ।

जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में निदेशालय से प्राप्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान 30 जून 2022 तक कर दिया जाएगा ।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री मोतीलाल प्रसाद: महोदय, प्रश्न का उत्तर प्राप्त है और उसमें बताया गया है कि जून 30 तक इसका भुगतान कर देंगे, प्रोत्साहन राशि का लेकिन मुझे माननीय मंत्री जी से जानना है कि पिछली बार 2019-20 की राशि फरवरी में भुगतान हो गया था और 2020-21 की राशि जून महीना हो गया, यह चार महीना विलंब का क्या कारण है, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्री मदन सहनी, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में तो हमने कहा है कि 21 जून 2022 तक हमलोग उसका भुगतान कर देंगे । पहले भी जो 2019-20 का है उसका फरवरी 2021 में हमलोगों ने कर दिया है । इसकी जो प्रक्रिया है एंट्री करने की उसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, महिला पर्यवेक्षिका एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा तीन किस्त में इसका भुगतान किया जाता है और फिर सभी का संकलन करने में समय लगता है इसीलिए चार महीने का वक्त लगा है । हमलोग विभाग को निर्देश दिए हैं कि इसको अब हर माह में भुगतान करने की प्रक्रिया अपनाई जाय ।

श्री मोतीलाल प्रसाद: महोदय, 2019-20 में फरवरी में भुगतान हो गया तो इस बार चार महीना, उससे तो हमारा सारा सॉफ्टवेयर और गति पकड़ना चाहिए तो हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना फिर पीछे क्यों जा रहे हैं कि चार महीना और विलंब हो गया इस बार ।

अध्यक्ष: अलग से भी मिल लीजिएगा, बैठ जाइये । माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये । माननीय अवध विहारी चौधरी जी, आप एक बार आग्रह करें, अपने स्थान पर जायं । सभी दलीय नेता मेरे कक्ष में आएं ।

सदन की कार्यवाही 12:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-5/अंजली/28.06.2022

(स्थगन के उपरांत)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ली जाएंगी।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-28 जून, 2022 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

श्री महबूब आलम, श्री अरूण सिंह, श्री सत्यदेव राम, श्री महानंद सिंह, श्री रामबली सिंह यादव एवं श्री सुदामा प्रसाद । श्री अजीत शर्मा ।

आज सदन में कार्य संचालन नियमावली के नियम-43 के तहत सामान्य लोक हित के विषय पर विचार-विमर्श का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-173(1) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-72, दिनांक-21.02.2022, एस0ओ0-73, दिनांक-17.03.2022, एस0ओ0-74, 75, 76 एवं 77, दिनांक-31.03.2022 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-72, दिनांक-21.02.2022, एस0ओ0-73, दिनांक-17.03.2022, एस0ओ0-74, 75, 76 एवं 77, दिनांक-31.03.2022 की प्रति सदन पटल पर 30 दिनों तक रखी रहेगी ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, बिहार ग्रामीण श्रमिक कल्याण केंद्र समाज आयोजक (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2009, बिहार श्रम लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2014, बिहार श्रम आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग नियमावली, 2016, बिहार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2017, बिहार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं

सेवा कर) (संशोधन) नियमावली, 2017, बिहार सचिवालय भोजशाला प्रबंधक संवर्ग नियमावली, 2017, बिहार सचिवालय भोजशाला लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2017 एवं बिहार सचिवालय भोजशाला समूह-'घ' नियमावली, 2017 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-95 (3) के तहत् बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-95 (3) के तहत् बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022 की प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी ।

माननीय सभापति, निवेदन समिति ।

श्री विनोद नारायण झा (सभापति, निवेदन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत निवेदन समिति का जल संसाधन विभाग से संबंधित तृतीय प्रतिवेदन, उद्योग विभाग से संबंधित चतुर्थ प्रतिवेदन एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित षष्ठम् प्रतिवेदन, गृह विभाग से संबंधित सप्तम् प्रतिवेदन, नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित अष्टम् प्रतिवेदन तथा गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित नवम् प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दलीय...

(व्यवधान जारी)

सुन लीजिए, सुन लीजिए । माननीय सदस्यगण, दलीय नेताओं की बैठक में सदन चलाने का आग्रह किया गया है और जो विषय इस सदन का नहीं है उस पर चर्चा इस सदन में नहीं होगी, कोई विमर्श नहीं होगा उस पर और न कोई प्रस्ताव आएगा । यह स्पष्ट तौर पर सुन लें । सदन को संचालित करने में सहयोग करें, अपने आसन पर जाएं । सदन को चलाने में आप सहयोग करें ।

(व्यवधान जारी)

अब शून्यकाल लिए जाएंगे ।

शून्यकाल

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री इजहारूल हुसैन ।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गई)

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, राज्य में नगर निकायों का चुनाव समय पर सम्पन्न नहीं होने के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज के तर्ज पर परामर्शी समिति का गठन करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विनय कुमार, अपना शून्यकाल पढ़ें ।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गई)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री ललन कुमार, शून्यकाल पढ़ें ।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढी़ गई)

श्री विद्या सागर केशरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन अररिया–गलगलिया रेल लाइन के प्रस्तावित खवासपुर रेलवे स्टेशन से फारबिसगंज जंक्शन को जोड़ने के लिए एक नए रेल संपर्क लाइन के निर्माण हेतु रेल लिंक का सर्वेक्षण कराकर निर्माण कराने की दिशा में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग सदन से करता हूं ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, बांका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखंड के जमदाहा पंचायत अंतर्गत लक्ष्मीपुर डैम मुख्य नहर में बैठा बांध एवं बरमसिया के बीच चैन नं0–08 से निकला राजवाहा जो नरायणचक गांव तक जाती है । गाद जमा होने से सिंचाई कार्य बाधित है । अतः उक्त राजवाहा की उड़ाही की मांग करती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मोहम्मद कामरान

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गई)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री महानंद सिंह ।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गई)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र प्रसाद ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बहेड़ी एवं हायाघाट प्रखंड पशु चिकित्सालयों में दवाओं का घोर अभाव है तथा ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं ।

अतः मैं सरकार से बाढ़ को देखते हुए जल्द से जल्द पशु चिकित्सालयों में पशु दवा उपलब्ध कराने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

(माननीय सदस्या द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गई)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री प्रकाश वीर ।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गई)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मोहम्मद अनजार नईमी

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गई)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकेश कुमार यादव ।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गई)

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत भरहुल्ली पंचायत के कलवाड़ा रा0प्रा0 विद्यालय से भरहुल्ली विद्यालय तक खराब सड़क के कारण आम जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । उक्त सड़कों का निर्माण कार्य करवाने की कृपा की जाय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइए । आसन पर जाकर बोलें । माननीय सदस्य, श्री ललित नारायण मंडल ।

श्री ललित नारायण मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार से अंगिका भाषा को अष्ट्म सूची में डालने तथा अंगिका का मातृभाषा कोड जारी करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री भरत बिन्द ।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गई)

सुश्री श्रेयसी सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में निहायत ही गरीब परिवार जिनका नाम आवास सूची में किसी कारण से दर्ज नहीं है वैसे परिवारों को चिन्हित कर तत्काल प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने की मांग करती हूं ।

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, आवास बोर्ड दीघा की अधिग्रहित भूमि के 20 एकड़ भूमि को लेकर अंचलाधिकारी, पटना द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या-70/2021-22 नोटिस दिया गया है । जिससे वहां बसे लोगों को विस्थापित होने का भय है । मकान मालिकों एवं भूस्वामियों के पुर्नवास एवं मुआवजा का प्रावधान नहीं किया गया है । मैं उक्त नोटिस को वापस करने की मांग करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, क्या सदन चलने देना नहीं चाहते हैं, सदन का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं । जनता की समस्या से जुड़े हुए प्रश्नों को...

(व्यवधान जारी)

क्या सदन नहीं चलने देना चाहते हैं ? सदन का इतना गंभीर विषय पर...

(व्यवधान जारी)

अब सदन की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-6/सत्येन्द्र/28-06-22

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, अब सामान्य लोक हित के विषय पर विमर्श होगा ।

सामान्य लोक हित के विषय पर विमर्श

अध्यक्षः बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन निमयावली के नियम 43 के अन्तर्गत श्री संजय सरावगी, स0वि0स0 से सामान्य लोक हित के विषय पर निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुआ है:-

''यह सभा उत्कृष्ट विधान-सभा एवं उत्कृष्ट विधायक के स्वरूप निर्धारण करने संबंधी विषय पर विमर्श करे ।''

इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के लिए कुल दो घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

भारतीय जनता पार्टी	-38 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	-37 मिनट
जनता दल यूनाईटेड	-22 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-10 मिनट
सी0पी0आई0एम0एल0	-06 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन	-03 मिनट
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा	-02 मिनट
सी0पी0आई0(एम0)	-01 मिनट
सी0पी0आई0	-01 मिनट

माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री संजय सरावगीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा उत्कृष्ट विधान-सभा एवं उत्कृष्ट विधायक के स्वरूप निर्धारण करने संबंधी विषय पर विमर्श करे ।''

अध्यक्ष महोदय, अच्छा कार्य करने वाला का मनोबल बढ़ाना, उन्हें संरक्षित और सुरक्षित करना ही हमारा पुनीत कर्त्तव्य है । पूर्व में अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में उत्कृष्ट सांसद के चयन की परिपार्टी रही है और पूर्व में कई राज्यों के विधान-सभा में उत्कृष्ट विधायक चुनने की भी परिपार्टी रही है लेकिन बिहार विधान-सभा में पूर्व में ऐसी कोई परिपार्टी नहीं रही है तो मैं इस सदन के, हम सभी के संरक्षक माननीय अध्यक्ष महोदय को इस विषय पर सदन में विमर्श करने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं । अध्यक्ष महोदय, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है पर तीनों मिल जाये तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है । अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की भी आपको बधाई देता हूं कि आपको लोक सभा में जो उत्कृष्ट विधान सभा और विधान परिषद् में श्री ओम बिरला जी ने प्रथम बार कि उत्कृष्ट विधान सभा हमारी कैसी हो, उत्कृष्ट विधान परिषद् हमारा कैसा हो इसके लिए उस सात सदस्यीय पीठासीन पदाधिकारी में एक आपको भी मापदंड निर्धारित करने वाली समिति में मनोनित किया है और इसकी एक बैठक हाल में ही दिल्ली में सम्पन्न हुई है । अध्यक्ष महोदय, यह पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है और निश्चित रूप से मैं लोक सभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के प्रति, सम्पूर्ण राज्य की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि हमारे पीठासीन अधिकारी जो बिहार विधान सभा के अध्यक्ष होते हैं, उनको भी इस चयन समिति में स्थान दिया है । अध्यक्ष महोदय, आज मैंने जो विषय दिया है उत्कृष्ट विधान सभा और उत्कृष्ट विधायक । अध्यक्ष महोदय, उत्कृष्ट विधान सभा में हम नीति निर्धारण करते हैं, जन समस्याओं की चर्चा करते हैं । विधान सभा के प्रश्नों के उत्तर हमारे विधान सभा में ऑनलाईन होते हैं । जब उत्कृष्ट विधान सभा और उत्कृष्ट विधान परिषद् पर चर्चा हो तो उसका स्वरूप भी देखना चाहिए । ऐसा न हो कि जो 30, 40, 50 विधान सभा के सदस्यों की विधान सभा हो उसका चयन हो जाय और हमारी तो 243 माननीय सदस्यों की विधान सभा है तो समकक्ष जरूर होना चाहिए 243 या 200, 225, 250 इसी सब में से जो है समकक्ष होना चाहिए एवरेज कि उत्कृष्ट विधान सभा और विधायिका कैसी हो ? अध्यक्ष महोदय, कितने घंटे कार्य के लिए सम्मन हुए या कितने दिन आपने बजट सेशनों के लिए अन्य सेशनों के लिए तय किया । उसमें कितने घंटे हमारी विधान सभा चली, उसकी भी अध्यक्ष महोदय, उत्कृष्ट विधान सभा में चर्चा होनी चाहिए । पिछले ही बजट सत्र में, पूरे देश में ऐसा नहीं हुआ होगा कि 22 दिन सत्र चले और 22 में से 21 दिन हमारी बिहार विधान सभा चली । इसमें मुझे नहीं लगता

कि अन्य विधान सभाओं ने ये लकीर खींची होगी । अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से अगर उत्कृष्ट विधान सभा की बात हो तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, अभी मैं हिमाचल गया था, मुझे आपने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सदस्य बनाया है । वहां ई-गवर्मेंट कमेटी बनाई हुई है,हमलोगों ने देखा, वह पेपरलेस विधान सभा है । ई-गवर्मेंट कमेटी में अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर विधायक जो सरकार को पत्र लिखते हैं या विधान सभा के माध्यम से सरकार को पत्र जाता है या सीधा हम जो सरकार को, पदाधिकारी को, माननीय मंत्री जी को पत्र लिखते हैं उसके मॉनिटरिंग की व्यवस्था है । उन पत्रों का क्या हुआ ? उन पत्रों पर क्या कार्रवाई हुई ? अध्यक्ष महोदय, आपकी जो मंशा थी पिछली बार आपने जो बताया था कि हम एक ऐसी कमेटी बनाना चाहते हैं, बिहार विधान सभा के पटल पर आपने बोला था तो अध्यक्ष महोदय, ई-गवर्मेंट कमेटी हिमाचल में बनी हुई है और उस ई-गवर्मेंट कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वे हमारे विधान सभा के अध्यक्ष हैं और उसमें जो सदस्य हैं, वे वरिष्ठतम सदस्य हैं वे लोग उसमें सदस्य हैं और निश्चित रूप से वह पेपरलेस विधान सभा है तो आपकी जो मंशा है विधायिका को मजबूत करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारा बिहार, पूरे विश्व में लोकतंत्र व्यवस्था को दिशा देने वाला काम हमने किया है। हमारा वैशाली, हमारा गणराज्य ऐसा रहा है । अध्यक्ष महोदय, ये पेपरलेस विधान सभा करके और हम ई-गवर्मेंट कमेटी बनाकर एक अच्छा संदेश पूरे देश में दे सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की कमेटियों में या हमलोग जो सदन के पटल पर प्रश्न पूछते हैं उस प्रश्न पर जिस दिन उसके डिबेट की चर्चा है या प्रश्नों के उत्तर की चर्चा है । कितने प्रतिशत प्रश्नों का उस दिन सदन में उत्तर दे दिया गया, यह भी अगर विधान सभा में उत्कृष्ट विधान सभा की चर्चा हो उसमें रहना चाहिए । आपके प्रयास से हम लोग देख रहे हैं जिस दिन विधान सभा में प्रश्न आता है उसका शत-प्रतिशत उत्तर सदन के पटल पर आ जाता है, ऑनलाईन हमलोगों को उत्तर मिल जाता है । ये मुझे लगता है कि देश कि किसी भी विधान सभा में यह नजीर पेश नहीं की गई जो आपके माध्यम से सरकार ने नजीर पेश की है और अध्यक्ष महोदय, कमेटियों में कितने जो हमारे सभापति है, उनकी क्या भूमिका है । कितने हम लोगों ने विधान सभा के अंदर रिपोर्ट पेश किया, ये सब भी उत्कृष्ट विधान सभा में रहे । हमलोगों की ई-विधान लागू है । आज सबकुछ ऑनलाईन आप दिखाते हैं, पूरे राज्य की जनता इसको ऑनलाईन के माध्यम से हमलोगों के क्रियाकलाप को देख रही है । निश्चित रूप से वैसे तो आप इस समिति के सदस्य हैं ही और यह पहली बार हुआ

है, यह तो केन्द्र का विषय है । बिहार विधान सभा, बिहार विधान परिषद् देश की उत्कृष्ट कैसी हो ? यह तो निश्चित रूप से लोक सभा के स्तर पर तय करना है लेकिन आप अध्यक्ष महोदय इसके सदस्य बने हैं तो अपनी भावना, अपने बिहार विधान सभा में हमलोगों ने कैसी उत्कृष्टता की, हमारी सरकार कैसे उत्कृष्ट काम बिहार विधान सभा में कर रही है । इन सब बातों का उल्लेख जब विधान सभा और विधान परिषद् की सर्वोत्तम विधान सभा और बिहार विधान परिषद् जब बने तो उस कमेटी में इन बातों को जरूर समाहित करना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिहार उत्कृष्ट विधायकों पर चर्चा कर रहा हूं । कई राज्यों में उत्कृष्ट विधायकों की परिपाटी रही है । अध्यक्ष महोदय, कोई जरूरी नहीं है कि उत्कृष्ट विधायक एक ही हो, उत्कृष्ट विधायक भी हो सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ विधायक भी हो सकते हैं, सर्वोत्तम विधायक भी हो सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तीन-चार उत्कृष्ट विधायक में हमलोग विभिन्न-विभिन्न तरह का नाम देकर, अध्यक्ष महोदय, कोई जरूरी थोड़ी है इसमें एक ही हो, आपके नजर में, किसी के नजर में, जनता के नजर में, आपने तय किया है कि जनता अपने विधायकों के बारे में बताये, इंटरनेट के माध्यम से । हमलोगों के दो तरह के कार्य रहते हैं एक विधायी कार्य और एक जनता के बीच में हमलोगों का काम, उनके सुख-दुख में सहभागी होना, क्षेत्र का काम करना। अध्यक्ष महोदय, दो तरह का कार्य करते है । कोई जरूरी नहीं है अध्यक्ष महोदय, विभिन्न तरहों का हमलोगों का काम है । कोई हो सकता है कि एक में सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम हो, कोई हो सकता है दूसरे में अति उत्तम हो । अध्यक्ष महोदय तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही उत्तम विधायक हो, इसमें तीन-चार भी संख्या हमलोग सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम इस तरह के तीन-चार विधायकों को उसमें नामकरण करके हमलोग कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था, पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की जनता के नुमाइंदे होते हैं अध्यक्ष महोदय और सड़क से सदन तक, खेत से खलिहान तक हमलोगों को आवाज बनना पड़ता है और सोशल मीडिया, इंटरनेट की इस तेज रफ्तार की दुनिया में सबकी सक्रियता और अक्रियता किसी से छुपी नहीं रहती है कि हम क्या कर रहे हैं । अगर हम दो आंख से लोगों को देखती है तो लाखों आंखें हमारे क्रियाकलाप को देखती है, हमारे आचार-विचार को देखते हैं, हम क्या काम करते हैं, उसको देखती है । हम तो दो आंखों से लोगों को देखते हैं लेकिन लाखों आंखें हमारे चाल-चरित्र और चेहरा को देखती है । अध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधि होने के नाते

जनता की अदालत में हमेशा जनता से रू-ब-रू होकर उनकी समस्याओं को त्वरित एवं नियम संगत समाधान करना, इसके लिए फटाफट प्रयास करना पड़ता है । क्योंकि हमारी सदियों पुरानी सनातन संस्कृति में सकारात्मकता को ज्यादा तवज्जो दी जाती है।

(क्रमशः)

टर्न-7/मधुप/28.06.2022

..क्रमशः..

श्री संजय सरावगी : आप तो सनातन संस्कृति के वाहक हैं, अध्यक्ष महोदय । जब हमलोग आपके वक्तव्य को यहाँ सुनते हैं तो सनातन संस्कृति की झलक जो हमारे ऋषि-मुनियों ने दी थी, वह झलक आपके वक्तव्य में नजर आती है । आज इस विमर्श से निकला संदेश जो सकारात्मक और रचनात्मक होगा, दूर तक जायेगी । इसकी गूंज विधायिका के लिए एक नजीर बनेगी । यह मैं आपको बताना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, हम सभी सार्वजनिक जीवन में और जन-सेवा के लिए राजनीतिक जीवन में आये हैं इसलिये सबसे पहले हमारा आचरण संयमित और मर्यादित होना चाहिये । हमारी भाषा विनम्र होनी चाहिये । हमें अपने आचरण से ऐसा संदेश देना होगा कि हमारे समक्ष जब समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति भी आये तो उसे गर्व का अहसास हो और हमारे जन-प्रतिनिधि ऐसे हैं, ऐसा उनको गर्व का अहसास उनको होना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि हमारा दो तरह का कार्य है, एक विधायी कार्य और एक जनता का काम, उनके सुख-दुख में सहभागी होना । विधायी कार्य में सदन में किस तरह माननीय सदस्य की क्या और कैसी भूमिका हो, इसका आकलन जरूर होना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, अभी हमलोग देख रहे थे, आप सदन में नियमन पर नियमन दे रहे थे, आप आग्रह कर रहे थे और किस तरह से हो-हंगामा और अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा था । अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर वेल में आने, आसन के समीप आने, मानहानि कारक शब्द बोलने, आसन की अनुमति के बिना बोलने तथा सदन के अंदर प्लेकार्ड या बैनर दिखलाने की प्रवृत्ति पर भी अध्यक्ष महोदय, जब उत्कृष्ट विधायक का चयन हो तो इनको जरूर देखना चाहिये कि यह प्रवृत्ति इनकी कैसी है । अध्यक्ष महोदय, आसन द्वारा दी गई व्यवस्था पर प्रतिक्रिया, उल्लंघन करना या अनुचित ठहराना, इसपर भी अध्यक्ष महोदय, आप जब नियम-परिनियम से बंधे हैं । अपनी जो विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली है उस नियमावली से हमलोग बंधे हैं और अध्यक्ष महोदय, आप भी बंधे हैं । आप उपर से नियम-परिनियम की व्याख्या करते हुए निर्देश देते हैं

और सदन की गरिमा से विपरीत व्यक्तिगत सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है, इसपर भी जब उत्कृष्ट विधायकों का चयन हो तो इसको भी जरूर आपको देखना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, विभिन्न समितियों में किये गये कार्य एवं उपलब्धियॉं, सभी माननीय सदस्य किसी न किसी विधान सभा की समिति के सदस्य हैं और उनमें से कुछ विधान सभा समिति के सभापति हैं । हमारी भूमिका उन समितियों में क्या हो रही है, हम उसमें क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, हम उसमें क्या पास कर रहे हैं, उसकी भी प्रोसिडींग निकालकर या कितने रिपोर्ट ले हुये, यह तो सभापतियों का विषय है लेकिन माननीय सदस्यों की भी जो उसमें क्या भूमिका है, इसपर भी देखना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मैं कर्नाटक विधान सभा गया था जब मैं प्राक्कलन समिति का सभापति था, वहॉं हर बुधवार को विभागीय बैठक होती है । वहॉं व्यवस्था नहीं है दस्तखत करने वाली समीक्षात्मक बैठक की । 10-20 बैठकों में से केवल एक समीक्षात्मक बैठक होती है और हर बुधवार को जब विभागीय बैठक होती है तो विभाग आपस में टकरा सकते हैं तो वहॉं ऐसी व्यवस्था है कि पीठासीन अधिकारी या विधान सभा के जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, वे तय करते हैं कि किस दिन कौन विभाग किस कमिटी में आयेगा और बहुत सारी विभागीय बैठकें होती हैं । इससे बहुत सारे सदस्यों के काम भी होते हैं और बहुत सारे रिपोर्ट जो विधान सभा में ले होते हैं उसमें बहुत ज्यादा द्रुत गति से काम होता है ।

अध्यक्ष महोदय, संसदीय विधायी नियमों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान की भी इसमें प्रमुख भूमिका होनी चाहिये । हम अगर प्रश्न लगाते हैं, प्रश्न का अगर फ्लोर पर उत्तर आता है तो उसमें कितने पूरक प्रश्न हम पूछे, किस तरह के पूरक प्रश्न पूछे, कितना हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, समिति की बैठक में सक्रियता, मैंने पहले ही कहा, सदन की कार्यवाही में भाग लेना और सिर्फ पहली पाली में भाग नहीं लेना, दूसरी पाली में जो विधायी कार्य चलते हैं या हम बजट पर बोलते हैं या अन्य विधायी कार्य चलते हैं उसमें भी, क्योंकि पार्टी की विधान मंडल दल की बैठक जब होती है तो हमारे नेता बोलते रहते हैं कि सभी को सदन में रहना चाहिये लेकिन दूसरी पाली में हमलोग देखते हैं, जब विधायी कार्य हमलोग करते हैं तो उस समय संख्या कम रहती है । यह विधायी कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष महोदय । हम सभी लोग जानते हैं बजट पर बहस में, बाकी और सब में भी कैसे भाग लेते हैं, गैर-सरकारी संकल्प हम डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं । कितनी देर हम विधान सभा में बैठते हैं, यह भी

जब सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट या सर्वोत्तम या अच्छे विधायकों का चयन हो तो उसमें इन सभी को भी निश्चित रूप से देखना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, अन्य गुटो-दलों के प्रति सहिष्णुता क्या है । अब ऐसा नहीं है कि हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष वाले पक्ष के प्रति क्या व्यवहार करते हैं या पक्ष वाले विपक्ष के प्रति क्या व्यवहार करते हैं । ठीक है, हमारी विचारधारा अलग-अलग है, हम विधान सभा में अपनी पार्टी की विचारधारा के अनुसार बोलते हैं लेकिन आपका क्या रूख दूसरे गुट या दल के विधायकों के प्रति है, यह भी निश्चित रूप से जब हम चयन करें तो इसमें जरूर देखना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही कहा कि सदन की दूसरी पाली में जब विधेयक वगैरह आते हैं उसमें कितना हमलोग रहते हैं ।

श्री राजकुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता है कि अभी विधान सभा में कोरम की पूर्त्ति हो रही है ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा है, 25 से कम संख्या नहीं है ।

अध्यक्ष : कोरम पूरा है ।

(व्यवधान)

श्री जनक सिंह : 25 होना चाहिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, यू0एन0डी0पी0 और विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख है कि किसी देश के विकास और लोकतांत्रिक शासन की गुणवत्ता के बीच महत्वपूर्ण संबंध है और लोकतांत्रिक शासन की गुणवत्ता का सीधा संबंध हमारी विधायिका से है । अध्यक्ष महोदय, जब आप उत्कृष्ट विधायकों के चयन के लिए प्रमुखतम मापदंड निर्धारित करते हैं तो सदन में एक रचनात्मक और सकारात्मक माहौल बनेगा और आपस में अच्छा से अच्छा करने की प्रतिस्पर्धा बनेगी । जिस तरह अभी होता है, जब आप उत्कृष्ट और सर्वोत्तम विधायकों के चयन के लिए नियमावली बना देंगे तो सभी में प्रतिस्पर्धा होगी कि हम भी अच्छे विधायक बनें क्योंकि आम जनता में यह संदेश जायेगा । अध्यक्ष महोदय, अगर प्रेस के लोग अपनी ओर से भी एक कॉलम निकालें जिसमें आज के श्रेष्ठ वक्ता या विधायक की चर्चा हो, रोज के रोज कौन उस दिन के सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं या वक्ता कौन हैं । यह भी चर्चा हो, अगर एक कॉलम निकालें, एक महत्वपूर्ण दैनिक अखबार में मैंने पिछले विधान सभा में देखा था कि रोज जो अच्छे वक्ता थे उनका भाषण वे प्रमुखता से देते थे । यह भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमलोगों को प्रेरित करेगा ।

अध्यक्ष महोदय, आपने एक अच्छी पहल की है । सभा सचिवालय से विधायक द्वारा किये जा रहे कार्यों की रिपोर्ट आपने आम जनता से मँगवायी है और आम जनता ही हमारी दृष्टि है । विधायी कार्य की दृष्टि विधान सभा है और आम जनता के बीच जो हम काम करते हैं, आम जनता की दृष्टि ही हमारे कार्य पर खरा उतरने की दृष्टि है । तो आम जनता की जो रिपोर्ट आपने मँगवायी है, अध्यक्ष महोदय, यह भी आपने अच्छा पहल किया है । उत्कृष्ट विधायक के चयन में जैसा कहा कि विधायकों के विधायी कार्य सब तो हैं । अब रहा कि इसको जज कौन करेंगे, उत्कृष्ट विधायक और अच्छे विधायक को जज कौन करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, इसके तो संरक्षक आप हैं, इस कमिटी के अध्यक्ष निश्चित रूप से आपको होना चाहिये और उसके बाद सदस्य के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हों, विपक्ष के नेता हों, सभी दलीय नेता हों, बतौर सदस्य के रूप में इसमें होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा यह सुझाव भी होगा कि प्रत्येक वर्ष विधान सभा या सरकार में जो भी अध्यक्ष मुनासिब समझें, एक विशेष पुरस्कार देना चाहिये जो उत्कृष्ट विधायक या जो भी आप तय करें और उससे इसके लिए विधायक प्रेरित भी होंगे । अध्यक्ष महोदय, उत्कृष्ट विधायक का चयन होने पर उनका नाम और उनकी तस्वीर की नाम-पट्टिका हो और उसे लाइब्रेरी में भी रखा जाय ।

अध्यक्ष महोदय, उत्कृष्ट विधान सभा चयन का स्वरूप और मापदंड तो आपको तय करना है, सात-सदस्यीय पीठासीन पदाधिकारियों की कमिटी जो बनी है उसको तय करना है । निश्चित रूप से यह मापदंड आपको तय करना है और हमारा बिहार तो लोकतंत्र की जननी है, पूरे विश्व में लोकतंत्र को संदेश देने वाला हमारा बिहार है । निश्चित रूप से आप जो यहाँ काम करवा रहे हैं, 100 प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। विधान सभा में उत्तर देने की संख्या बढ़ी है, उत्तर आ रहे हैं तो विधायकों में प्रश्न देने की प्रेरणा बढ़ी है । ई-विधान हमारे यहाँ चालू है, ऑनलाईन चालू है । अध्यक्ष महोदय, इसमें जो कमी-बेसी है निश्चित रूप से हमलोग उसको पूरा करें ।

...क्रमशः..

टर्न-8/आजाद/28.06.2022

.... क्रमशः ....

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, इतिहास साक्षी है कि लोकतंत्र की जननी बिहार ने समय-समय पर देश को राह दिखायी है और जब आप अपने अधिकार को कर्त्तव्य से

जोड़ लेंगे, तब हमें उत्कृष्ट बनने से कोई रोक नहीं सकता ? सदन को जब हम जनता के हित से जोड़ देंगे, तब सदन को इसे उत्कृष्ट बनने से भला कौन रोक सकेगा ? हमें लोक और तंत्र के सहयोग से अपने अधिकार और कर्त्तव्य साथ लेकर उत्कृष्ट बनाना होगा । ऐसा करने से बिहार विधान सभा देश की विधायिका को एक नई राह दिखा सकेगी और बिहार में लोकतंत्र की जड़े और गहरी हो सकेगी । आज विमर्श से निकला विचार अमृत हमें विधायिका को जनोमुखी बनाने में मददगार होगा । अध्यक्ष महोदय, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस विषय को बिहार विधान सभा में रखा और निश्चित रूप से यह एक नजीर साबित होगा ।

अध्यक्ष महोदय, प्रेम ही जीवन है, जीवन ही कर्म है, कर्म ही मनुष्य है, मनुष्यता ही धर्म है, धर्म इस जान का, प्राण और मर्म है ।

अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आपने जो इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया – उत्कृष्ट विधान सभा एव उत्कृष्ट विधायक के स्वरूप निर्धारण करने संबंधी विषय पर आपने चर्चा करायी, हम आपको आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और निश्चित रूप से जब 12 करोड़ में जब कोई उत्कृष्ट सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ विधायक चयनित होगा तो वह 12 करोड़ जनता के बीच एक नजीर पेश करेगा और 12 करोड़ लोग अपने उस उत्कृष्ट और अच्छे विधायक को देख सकेंगे । मैं इन्हीं बातों के साथ आपको एक बार फिर से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ । धन्यवाद, जय बिहार ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य श्री राज कुमार जी ने प्रश्न उठाया कि सदन में सदस्यों की कमी है, कोरम नहीं है । माननीय सदस्यगण, यहां तकनीकी रूप से कोरम तो पूरा है परंतु माननीय सदस्यों का सदन में न होना इस महत्वपूर्ण विषय पर हो रहे वाद-विवाद में न होना दु:खद और दुर्भाग्यपूर्ण है । इस विमर्श में विपक्ष के सभी सदस्यों को उपस्थित रहना चाहिए था, तभी इस विमर्श की सार्थकता होती ।

माननीय सदस्य, जब हम उत्कृष्ट विधायक की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसे माननीय विधायक की तस्वीर उभरती है जो सदन के अंदर और बाहर जन समस्याओं के प्रति गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सक्रिय, सकारात्मक, सार्थक और रचनात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करें । विधायी कार्यों, सदन की बैठकों, समिति के कार्यों में कार्यनिष्ठा और अभिरूचि के साथ भागीदारी करें । सरकारी योजनाओं का धरातल पर अपेक्षित क्रियान्वयन करा सकें । सार्वजनिक जीवन में सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी आचरण, व्यवहार एवं कार्यशैली का प्रदर्शन करें ।

जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहां 10वीं लोकसभा (जिसका कार्यकाल 1991 से 1996 तक था) से उत्कृष्ट सांसद का सम्मान दिया जाता है । भारतीय संसदीय समूह द्वारा एक सुनिश्चित मानदंड के आधार पर लोक सभा एवं राज्य सभा के सम्मिलित सदस्यों में से किन्हीं एक सदस्य को प्रतिवर्ष यह सम्मान दिया जाता है । उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात सहित कुछ राज्यों में उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया जाता है ।

हमारा प्रयास है कि अपने यहां भी ऐसी पहल हो । इसके लिए सबकी सहमति से एक व्यवहारिक मानदंड एवं चयन प्रक्रिया निर्धारित हो । पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता के आधार पर निष्पक्ष रूप से उत्कृष्ट विधायक का चयन हर वर्ष हो सके, यह हमारा प्रयास है । आप सभी से हमारा आग्रह है कि इस संदर्भ में अपना-अपना सुझाव देते । लेकिन दु:खद है कि आज प्रतिपक्ष के लोग और कई विधायक उपस्थित नहीं हैं । ऐसे बिहार के उत्कृष्ट विधान सभा और उत्कृष्ट विधायक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर उपस्थित नहीं रहना चाहिये । यह बिहार लोकतंत्र की जननी है । इस भूमि से संदेश जाता है और इस संदेश को हम सबको मिलकर देना चाहिए । इस संदेश की गति रूकेगी नहीं । जब तक बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी के रूप में विश्व को संदेश देती रही है, देते रहेगी । पुन: सबकी सहमति बनेगी तो इसपर हम आगे चर्चा करायेंगे ।

मैं माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने महत्वपूर्ण विषय सदन में लाया परन्तु मैं दु:खी मन से इस विमर्श को आप सबों की सहमति से समाप्त करता हूँ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 28 जून, 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-56 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 29 जून, 2022 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।